उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 19 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 10 दिसम्बर, 2021)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख एवं ग"**)
3. निधन के निदेश।
4. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 सदन के पटल पर रखेंगे।
5. संसदीय कार्य मंत्री, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अध्याय-IX के अन्तर्गत धारा-78 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-
   (1) उत्तराखण्ड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का अठ्ठारहवां अधिनियम बन गया।

   (2) आई0एम0एस0यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

   (3) डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का बीसवां अधिनियम बन गया।

   (4) हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का तेईसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 नवम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

7. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

8. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा "जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज गुमटी अल्मोड़ा के मुख्य भवन ध्वस्तीकरण के पश्चात् नये भवन की वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रताप सिंह मियां, अध्यक्ष, अभिवावक संघ रा0इ0का0 गुमटी ग्राम कमान पो0 मटेला, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम खुब्बनपुर में रा0जू0हाईस्कूल उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री अरविन्द पुत्र श्री रमेश चन्द्र ग्राम खुब्बनपुर पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम भगवानपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में" श्री संजीव सैनी पुत्र श्री सीताराम ग्राम व पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा "जनपद नैनीताल के ग्राम बोहराकोट, तोक खोपा, पट्टी रामगढ़ में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पहाड़ का भू-सर्वेक्षण के आधार पर ट्रीटमेन्ट करवाने के सम्बन्ध में" श्री पृथ्वी राज सिंह दरम्वाल पुत्र स्व0 श्री विपिन सिंह दरम्वाल, ग्राम बोराकोट तोक खोपा, पट्टी रामगढ़ तहसील व जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा "जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बवाड़ी किचार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में" श्री ललित मोहन बवाड़ी पुत्र श्री पूरन चन्द्र, ग्राम व पो0 बवाड़ी किचार, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

14. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

15. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

16. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

17. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

19. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

20. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

21. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

23. धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

25. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

26. उच्च शिक्षा मंत्री, आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

27. उच्च शिक्षा मंत्री, आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

28. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

29. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

30. मुख्यमंत्री, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

31. मुख्यमंत्री, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

32. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

(समय : अपराह्न 03:00 बजे)।

33. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान मागें प्रस्तुत करेंगे।

34. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक :09 दिसम्बर, 2021

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

उत्तराखण्ड विधान सभा

तृतीय सत्र, 2021
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार 19 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 10 दिसम्बर, 2021)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

काजी मौ0 निजामुद्दीन 01.12.2021	**क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में इस समय बेरोजगारी दर अपने सर्वोच्च स्तर पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बेकाबू बेरोजगारी दर को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना यथाशीघ्र बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

नत्थी 'ख'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत तृतीय सत्र 2021 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

स्थगित।

श्री प्रीतम सिंह पंवार
17.05.2021

*01. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में उपनल राज्य के विभिन्न विभागों में मांग के आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराने का कार्य कई वर्षो से करता आ रहा है ? सरकारी आउटसोर्स ऐजेन्सी प्रदेश में होने के बावजूद जेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0लि0, ए0वी0एस0एम0 सिक्योरिटी एण्ड़ आउटसोर्सेज प्रा0लि0 तथा टी एण्ड एम0 सर्विसेज कन्सल्टेंट प्रा0लि0 मुम्बई को किस आधार पर प्रदेश में आउटसोर्स ऐजेन्सी बनाया गया है? क्या सरकार उक्त बाहरी आउटसोर्स ऐजेन्सीज के पात्रता/ योग्यता–कार्यमुक्त सम्बन्धी दस्तावेज सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन बाहरी आउटसोर्स ऐजेन्सीज से सरकार को सेस के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है जिसे राजकोष में जमा करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैनिक कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
21.05.2021

*02. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ऐसे फल उत्पादकों को अपने उत्पादन को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने की कोई योजना गतिमान अथवा योजना क्रियान्वयन पर विचार किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि राज्य गठन से पूर्व प्रदेश की सरकार द्वारा फल उत्पादकों के उत्पाद को उद्यानों से मण्डियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती थी? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे काश्तकारों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए उत्पाद के समुचित विपणन व मूल्य के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं फलोद्योग

काजी मौ0 निजामुद्दीन
21.06.2021

स्थगित।

*03. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में हिमालय क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रभावी है? क्या इसमें बिना किसी टेंडर के ही वर्षों से खरीदारी की जा रही है? क्या गाइडलाइन में टेंडर कराए जाने का प्रावधान अंकित नहीं है? क्या यह सत्य है कि मिशन निदेशक द्वारा मई–जून, 2021 में कोई टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी और फिर स्वयं ही टेंडर निरस्त कर दिए गए थे और पूर्ववत् बिना टेंडर के बजट खर्च कर खरीदारी जारी रखी गई? क्या सरकार टेंडर प्रकाशित करके निरस्तीकरण का कारण, उद्देश्य एवं क्षमता के बिन्दु पर कोई जांच कराएगी? यदि नहीं, तो क्यों ? उद्यान एवं फलोद्योग

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 25.10.2021	*01. क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, जिससे किसानों का गन्ना ट्रांसपोर्ट करने में अधिक खर्च हो रहा है? क्या राज्य सरकार गन्ने के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो गन्ना किसानों के नुकसान की भरपाई किस प्रकार की जायेगी ?	गन्ना विकास
श्री मनोज रावत 25.10.2021	**स्थगित।**	
	*02. क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के मध्य परिसम्पत्तियों के बंटवारे की अद्यतन स्थिति क्या है तथा बंटवारे के पूर्ण होने में कितने वर्ष और लगने की सम्भावना है ?	पुनर्गठन
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 27.10.2021	*03. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपनल के माध्यम से राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाता है, परन्तु राज्य के बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके परिवार में कोई भी रोजगार में नहीं है? क्या सरकार द्वारा ऐसे परिवार के बेरोजगारों का चिन्हीकरण करके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 28.10.2021	*04. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री अवगत हैं कि कोविड–19 के कारण बेरोजगारी दर काफी अधिक हुई है तथा बाहरी राज्यों से भी बेरोजगार अपने राज्य में वापिस आये हैं ? क्या बेरोजगारों के लिए राज्य खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार हेतु राज्य सरकार पहल कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खादी एवं ग्रामोद्योग

श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.10.2021	*05. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा सन् 2022 तक प्रदेश के कृषकों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने परिवार हैं जिनकी आजीविका केवल कृषि कार्य पर निर्भर है और जनपदवार ऐसे कुल कितने कृषक परिवार हैं जिनकी आय आतिथि तक दोगुना होने जा रही है अथवा 2022 तक दोगुनी हो जाने का अनुमान है? क्या यह सत्य है कि प्रदेश में बेमौसमी बारिश होने, ओलावृष्टि के कारण कृषकों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है ? क्या सरकार ऐसी दशा में कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए कोई अन्य ठोस उपाय कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

अतारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 29.10.2021	01. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु किन तालाबों का चयन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने तालाबों का कार्य पूर्ण है तथा कितने तालाबों का कार्य पूर्ण होना अवशेष है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 03.11.2021	02. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान किसानों के मिलने वाले किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसी अन्य नकद आर्थिक योजना का लाभ किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री धन सिंह नेगी 08.11.2021	03. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में मनरेगा के तहत प्रशासनिक सहायक एवं जूनियर इंजीनियर रखे गये है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को दिये जाने वाले मानदेय से अवगत करायेगी? क्या यह भी सत्य है कि उक्त कार्मिक समायोजन की मांग भी कर रहे है? यदि हां, तो क्या सरकर के मध्य उनके समायोजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास